FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराईं (अजमेर)

शन उर्फ हरिकिशन पुत्र श्रवण, जाति बलाई उम्र 52 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील जिला अजमेर राज.।

–वादीगण

बनाम

हरिराम पुत्र श्रवण जाति बलाई, निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व न्य।

–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 50/**2024**
ऑनलाइन नंबर **2024**/16

वकील वादीः– योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.06.2024	**यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को पेश हो।** (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी अरांई**	
05/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को आज 06:10 बजे तक रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं अतः वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 09 नियम 03 CPC के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो (हस्ताक्षर)	